माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 02.12.2020 का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न वादों, जिनमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर मा0 अधिकरण के आदेश के अनुश्रवण हेतु निर्देश जारी हैं, में अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2020 को मध्याह्न 12:00 बजे वीडिया कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

2– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में लम्बित विभिन्न वादों में पारित आदेशों के समयबद्ध अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि यदि किसी विभाग द्वारा माननीय न्यायालयों/एन0जी0टी0 के आदेशो के अनुपालन के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही समय पर नहीं की जाती है तथा समय पर अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय अथवा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मुख्य सचिव को अनुपालन के लिये निर्देशित किया जाता है, तो इसमें विभाग की लापरवाही का संज्ञान लेकर उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि माननीय न्यायालयों/एन0जी0टी0 मे प्रचलित महत्वपूर्ण वादों में पैरवी का अनुश्रवण अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाय। प्रकरणवार हुए विचार–विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :–

1– ओ0ए0 सं0–231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य:

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण हिण्डन नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु प्रभावित ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना, ड्रेन्स के फाईटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन, दोषी उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली, परफार्मेंस गारण्टी, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही आदि हैं।

प्रभावित सभी 148 गॉवों में पाईप्ड वाटर सप्लाई के संबंध में अनुपालन की स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया कि 103 ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष 44 ग्रामों एवं 1 हर्रा टाउन एरिया कमेटी में कार्य प्रगति पर है, जोकि 31 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर तक की प्रगति आख्या प्रेषित की जा चुकी है तथा अद्यतन प्रगति आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कर दी जाएगी। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

03 एस0टी0पी0 (मुजफ्फरनगर–22 एम0एल0डी0, बुढ़ाना–10 एम0एल0डी0 एवं सहारनपुर–93.6 एम0एल0डी0) की स्थापना के संबंध में अवगत कराया गया कि बुढ़ाना एवं मुजफ्फरनगर में टेण्डर फाईनल किए जा चुके हैं तथा मुजफ्फरनगर में बाउण्ड्रीवाल की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस0टी0पी0 की डी0पी0आर0 एनएमसीजी में अनुमोदन हेतु लम्बित है। बैठक के दौरान सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस0टी0पी0 के शीघ्र अनुमोदन हेतु नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एन0एम0सी0जी0) को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बायोरेमिडिएशन के बिन्दु पर नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विमर्श कर लिया गया है तथा कुछ स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिन स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, उनका विवरण प्रेषित करते हुए टाईमलाइन बढ़ाए जाने तथा ड्रेन्स पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के मा0 एन0जी0टी0 के फैसले पर पुनर्विचार हेतु

मा0 एन0जी0टी0 में अपील दाखिल की जाएगी।

प्रदूषणकारी उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 9.4 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, जिसके विरूद्ध रूपये 3.75 की धनराशि की रिकवरी की जा चुकी है। डिफाल्टर उद्योगों के विरूद्ध भू–राजस्व की भॉति वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा–प्रभावित ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना, ड्रेन्स के फाईटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन आदि को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दरों/परफारमेंस गारण्टी पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त परियोजना में हुये विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। परफार्मेंस गारण्टी जमा किये जाने के संबंध में आख्या तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/ लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/उ0प्र0 जल निगम)

2. **<u>ओ0ए0 सं0–06/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं ओ0ए0 संख्या– 648/2019 मै0 हिण्डन रिजॉर्ट प्रा0लि0 बनाम जी0डी0ए0–</u>**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 11.09.2019 एवं 05.03.2020 को जारी आदेशों में मुख्य रूप से शार्ट टर्म एवं लांग टर्म एक्शन प्लान की प्रगति, कैचमेंट में स्थापित एस0टी0पी0 के संचालन, एस0टी0पी0 की स्थापना/अपग्रेडेशन की स्थिति, सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी, स्टेटस ऑफ़ बायो–रेमिडिएशन, आन लाइन मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों से अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण को रोके जाने, ई0टी0पी0/एस0टी0पी0 के सुचारू रूप से संचालन, यमुना नदी के फ्लड प्लेन पर यू0पी0 पार्ट के रिजुविनेशन आदि बिन्दु आच्छादित हैं।

उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त आख्या के अनुसार साहिबाबाद ड्रेन का फ्लो मापन के उपरान्त 90 एम0एल0डी0 पाया गया है, थर्ड पार्टी से Flow measurement हेतु दिनांक 02.11.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।

इन्दिरापुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन के इन्टरसेप्शन/डायवर्जन के उपरान्त उक्त के शोधन हेतु 60 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है, जिस हेतु डी0पी0आर0 एन0एम0सी0जी0 में प्रेषित की गयी है। स्वीकृति के उपरान्त 2 वर्ष में उक्त कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित है।

इन्दिरापुरम गाजियाबाद में कुल 8 एस0टी0पी0 हैं, जिनमें 56 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एसटी0पी0 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, 70, 56, 56 एवं 74 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एस0टी0पी0 उ0प्र0 जल निगम, जिनके संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है तथा 30 एमएलडी एस0टी0पी0 लोनी, जिसका संचालन उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है, स्थापित हैं। उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्दिरापुरम में स्थापित 03 एस0टी0पी0 (56, 56, 74) एमएलडी कुल क्षमता–186 एम0एल0डी0 के संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है। पाईप लाइन आदि की मरम्मत का कार्य नवम्बर, 2020 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। वर्तमान में 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के renovation का कार्य पूर्ण हो

चुका है, एवं उक्त एस0टी0पी0 मानकों की प्राप्ति कर रहा है। 70 एम0एल0डी0, 56 एम0एल0डी0 एवं 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (लोनी) के renovation का कार्य फरवरी, 2021 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त 32 के0एल0डी एफ0एस0टी0पी0 लोनी में तथा 50 के0एल0डी0 एफ0एस0टी0पी0 गाजियाबाद की स्थापना की जानी है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि conforming/non-conforming areas में स्थापित प्रदूषणकारी उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। उद्योगों में स्थापित ई0टी0पी0 एवं सी0ई0टी0पी0 के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु टीम गठित कर कार्यवाही की जा रही है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनुपालन आख्या यमुना मॉनीटरिंग कमेटी को प्रेषित की जा चुकी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए प्रश्नगत ड्रेन्स से यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण का निवारण किया जाए। यदि किसी परियोजना में टाइम लाईन का विस्तार वांछित हो तो संबंधित विभाग मा0 एन0जी0टी0 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी कराते हुए उचित आदेश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करें। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर नॉन कन्फर्मिंग एरियास में अवैध रुप से संचालित उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें बन्द कराया जाए।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/जिलाधिकारी, गाजियाबाद तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3. <u>ओ0ए0 संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य–</u>

बैठक में ओ0ए0 संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 के अनुपालन के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न ड्रेन्स के टैपिंग के संबंध में की गयी अद्यतन कार्यवाही का विवरण शीघ्र ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। एस0टी0पी0 से शुद्धिकृत उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग हेतु नीति बनायी जा चुकी है तथा कार्ययोजना विचाराधीन है। सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनायी जा चुकी है। अन्टैप्ड ड्रेन्स में बायो रेमिडियेशन/फाइटोरेमिडियेशन सम्बंधी प्रस्ताव हेतु फण्डिंग के लिये सम्बंधित जनपदों के निकायों की अनुमति न मिल पाने के कारण, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी में बायो रेमिडियेशन के कार्य को छोड़कर अन्य सभी अनटैप्ड ड्रेन्स में कार्यवाही नहीं हो सकी है।

उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेग्मेंट–बी एवं फेज–2 के अनटैप्ड ड्रेन्स के प्रस्ताव एक माह के अन्दर तैयार कर लिये जायेंगे तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा जनपद बांदा, गाजियाबाद एवं कानपुर के पूर्व सूचित असंचालित तीनों एस0टी0पी0 संचालित हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद का एस0टी0पी0 संचालित है, मुरादाबाद स्थित एस0टी0पी0 सीवेज की अनुपलब्धता के कारण संचालित नहीं हो सका हैं तथा फिरोजाबाद का एस0टी0पी0 नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा शीघ्र संचालित होना प्रस्तावित है।

फ्लड प्लेन जोन तथा ई–फ्लो से सम्बंधित बिन्दु पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेग्मेंट–बी, फेज–1 के लिये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है तथा फेज–2 हेतु केन्द्रीय भूजल

आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। गंगा नदी में ई–फ्लो मेन्टेन करने हेतु नियमित अन्तराल पर नरौरा एवं अन्य बांध से जल छोड़ा जा रहा है तथा रि–फ्लो नोटिफिकेशन का अनुपालन किया जा रहा है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी सम्बंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पूर्व सूचित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट की समीक्षा कर संशोधित समय–सीमा के लिये मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध कर लिया जाये। जिन प्रोजेक्ट्स के समय से पूर्ण न होने की स्थिति में जुर्माना जमा किया जाना है, उनके सम्बंध में औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से जुर्माना जमा करने से छूट हेतु अनुरोध कर लिया जाये। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम द्वारा असंचालित एस0टी0पी0 के संचालित हो जाने सम्बंधी अद्यतन रिपोर्ट तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दी जाये। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने स्तर पर गहन समीक्षा अवश्य कर लें तथा परियोजना के कियान्वयन में लापरवाही पाये जाने पर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन तथां प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4. **<u>ओ0ए0 संख्या–985/2019 विद 986/2019: वॉटर पाल्यूशन बाई टैनरीज एट जाजमऊ, कानपुर उत्तर प्रदेश विद बॉटर पाल्यूशन एट रनिया, कानपुर देहात एण्ड राखी मंडी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–</u>**

बैठक में ओ0ए0 संख्या–985/2019 विद 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

खानचन्दपुर, रनियॉ, कानपुर देहात में भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण के सम्बंध में उत्तरदायी विभाग यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तीन बार टेण्डर आमंत्रित किये गये, परन्तु तीनों बार एक ही निविदा प्राप्त हुई तथा उसमें सूचित भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण की लागत अनुमानित लागत के सापेक्ष काफी अधिक पाये जाने के कारण टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में नीरी नागपुर एवं चार प्रमुख आई0आई0टी0 से टेण्डर की शर्तों को शिथिल करने के सम्बंध में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जिससे उनको सम्मिलित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियॉ, कानपुर देहात एवं राखीमण्डी कानपुर में प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्र में 02 हेल्थ कैम्प आयोजित किये गये थे, परन्तु कोविड–19 के कारण अन्य कैम्प आयोजित नहीं किये जा सके हैं। अंतिम हेल्थ सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कोविड–19 के कारण पूर्ण अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पायी है, परन्तु आयोजित किये गये हेल्थ कैम्प में आने वाले मरीजों में पायी जाने वाली बीमारियों का सम्बंध कोमियम डम्प से सम्भावित दुष्प्रभावों से होना सिद्ध नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा अधीक्षक डा0 हर्षवर्धन की अध्यक्षता में एक चिकित्सकीय टीम का भी गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

कानपुर देहात स्थित कोमियम डम्प की दोषी इकाइयों के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बंध में जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अद्यतन

स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी। जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि सभी दोषी उद्योगों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा इस कार्यवाही में यह ज्ञात हुआ कि वसूली नोटिस जारी होने के पूर्व ही अधिकांश उद्यमियों द्वारा जमीन बेची जा चुकी है। कुछ उद्यमियों की सम्पत्ति कानपुर नगर में है, इसलिये जिलाधिकारी, कानपुर नगर से वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिये अनुरोध किया गया है। कानपुर देहात में स्थित एक उद्यमी की जमीन पर महाविद्यालय बनाया जा रहा है तथा जमीन सरकार के नाम दृष्टिबंधक है।

ओ0ए0 संख्या–986/2019 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 जल निगम पर अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण उ0प्र0 सरकार पर रूपये 10 करोड़ तथा उ0प्र0 जल निगम पर रूपये 1.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे जमा नहीं किया गया है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा जाजमऊ में स्थापित एस0टी0पी0 का प्रभावी संचालन नहीं किये जाने एवं अशुद्धिकृत सीवेज को बाईपास कर गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण बोर्ड द्वारा भी उ0प्र0 जल निगम के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूपीसीडा द्वारा कोमियम डम्प के निस्तारण की कार्यवाही में अत्यंत विलम्ब किया गया है, जिसके दृष्टिगत यूपीसीडा द्वारा नीरी नागपुर तथा आई0आई0टी0 से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त कर टेण्डर आमंत्रित करते हुए भण्डारित कोमियम वेस्ट को हटाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि किये गये सर्वे के आधार पर अंतिम रिपोर्ट शीघ्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अपेक्षा की गयी कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को भी दोषी उद्योगों की सम्पत्ति से वसूली हेतु आर0सी0 स्थानान्तरित कर दी जाये। उद्यमी के महाविद्यालय की जो जमीन उ0प्र0 सरकार के नाम बंधक है, उसमें सेकेण्ड चार्ज के रूप में नियमानुसार पर्यावरण विभाग/जिलाधिकारी, कानपुर देहात का भी नाम दर्ज कराया जाय जिससे उ0प्र0 सरकार से भूमि बन्धक मुक्त होने के बाद यदि आर.सी. की धनराशि वसूली हेतु अवशेष रहती है तो इस सम्पत्ति से नियमानुसार वसूली की जा सके। उ0प्र0 जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट हेतु औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,/नगर विकास विभाग, प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा/उ0प्र0 जल निगम एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात)

5. **<u>ओ0ए0 संख्या–804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य–</u>**

बैठक में ओ0ए0 संख्या–804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 के अनुपालन के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेट्स एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 प्रख्यापित हो जाने से पूर्व ही अनेक उद्योगों द्वारा अपने परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रभावी निस्तारण न किये जाने के कारण प्रदेश में 19 कन्टेमिनेटेड साइट एवं 22 प्रोबेबल कन्टेमिनेटेड साइट्स चिन्हित किये गये थे। इनके सम्बंध में बोर्ड द्वारा अद्यतन जांच करायी गयी, जिसके आधार पर 12 साइट्स में भूगर्भ जलगुणता कुप्रभावित न पाये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त 12 साइट्स को कन्टेमिनेटेड साइट्स की सूची से हटाने हेतु अनुरोध किया जा चुका

है। इसके अतिरिक्त 08 साइट्स के सम्बंध में यूपीसीडा से भूगर्भ जल गुणता सम्बंधी रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। इन सभी साइट्स के सम्बंध में पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् गुणदोष के आधार पर भूगर्भ जल के रेमिडियेशन की कार्यवाही हेतु फण्डिंग की आवश्यकता होगी; जिसका प्रबन्ध दोषी उद्योग चिन्हित हो जाने की स्थिति में "पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल" के आधार पर उद्योगों से अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार से कराया जाना अपेक्षित होगा।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में श्रम विभाग, नगर विकास विभाग आदि से अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट अपेक्षित है।

यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में कन्टेमिनेटेड साइट्स के सम्बंध में जांच हेतु प्रभावी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करा लिया जाये तथा इस हेतु जो भी धन आवश्यक होगा वह उपलब्ध करा दिया जायेगा। श्रम विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट आज भेज दी गयी है।

अन्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यूपीसीडा द्वारा उनके क्षेत्र से अपेक्षित जांच सम्बंधी कार्य सम्भव न हो पाने की स्थिति में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने के आशय का पत्र भेजा जाये। जिन क्षेत्रों में रेमिडियेशन का कार्य किया जाना है, उक्त हेतु दोषी उद्योगों को चिन्हित कर उनसे उक्त कार्य पूर्ण कराया जाये, अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग आदि द्वारा धन उपलब्ध कराते हुए कार्य कराया जाये। श्रम विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्रम, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगर विकास तथा प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा)

6. <u>ओ0ए0 संख्या-330/2018 पार्क अवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के मास्टर प्लान के अन्तर्गत खुली ज़मीन/पार्क/हरित पट्टिका के विक्रय एवं अवैध प्लाटिंग के संबंध में प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में योजित है। मा0 एन0जीटी0 द्वारा उक्त की रोकथाम किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग विधि स्थापित व्यवस्था का पालन करते हुये अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण करते हुए मास्टर प्लान के अनुसार हरित पट्टिका हेतु भूमि को रिक्त कराते हुए हरित पट्टिका को विकसित किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जनपदों/प्राधिकरणों में भी तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रश्नगत विधिक व्यवस्था का पूर्ण विवरण एवं अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

7. <u>ओ0ए0 संख्या 490/2019 डी0एस0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण प्रतापगढ़ में सई नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित एस0टी0पी0 हेतु सीवर लाईन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किये जाने से सम्बन्धित है। एस0टी0पी0 निर्माण का कार्य 2009 में अधूरा छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव,

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है। सई नदी में सीधे गिर रहे सीवेज का बायो–रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व निर्मित एस0टी0पी0 को पूर्ण रूप से संचालित करने तथा सई नदी मे गिर रहे नालों की टैपिंग कर एस0टी0पी0 से संयोजन करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराकर अनुमोदन हेतु मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली प्रेषित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाये तथा एस0टी0पी0 को संचालित कराया जाय। दोषी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सहित तथा सीवर लाइन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 संयोजन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बना कर मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जाए।

(कार्यवाही –प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

8. **<u>ओ0ए0 सं0 – 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर तथा ओ0ए0 सं0 – 437/2015–</u>**

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति तथा केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से भू–जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को ही विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 में प्रकरण दिनांक 17.12.2020 को नियत है।

1– इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने पत्र दिनांक 02.11.2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/
पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ एवं केस्को लि0, कानपुर को निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

अ. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

ब. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाय।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष ,उ0प्र0 पॉवर कार्पोशन के उक्त आदेश दिनांक 02.11.2020 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही – अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन)

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय भू–गर्भ जल प्राधिकरण के अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 के अनुसार किसी नये नलकूप की स्थापना बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के बिना नहीं होगी तथा भू–गर्भ जल के निकासी के विभिन्न प्रयोजनों के लिये दरें निर्धारित की गयी हैं। सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के बिना नये नलकूपों की स्थापना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिदोहित एवं क्रिटिकल नोटिफाइड एरियाज में भू–जल की निकासी करने वाले उद्योगों अथवा विस्तारीकरण की परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर में एस0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार की गयी डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 में में प्रेषित की गयी है। मुख्य सचिव द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को निर्देश दिये गये कि एन0एम0सी0जी0 से समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृत कराने हेतु प्रयास किया जाये एवं तद्नुसार मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4– गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा रू0 76.79 करोड़ की लागत से सी0ई0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क कर डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर सी0ई0टी0पी0 की स्थापना सुनिश्चित करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर)

5– नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धीकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट के सम्बन्ध में भूमि चिन्हित कर ली गयी है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम द्वारा शेष चिन्हित भूमि का अधिग्रहण जिलाधिकारी, गोरखपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र किया जाये। अग्रिम कार्यवाही अतिशीघ्र सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर)

6– नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन का कार्य दिनांक 15.12.2020 से प्रारम्भ हो जायेगा। रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन/फाईटो रेमिडेशन किये जाने तथा नालों को टैप्ड किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन औचित्य सहित मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नगर निगम, गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश जल, निगम को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम गोरखपुर)

7– गोमती नदी के कैचमेन्ट में स्थापित हो रहे एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाये एवं सीधे निस्तारित हो रहे नालों में तत्काल बायो रेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन आरम्भ कराया जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा नगर आयुक्त, लखनऊ)

8– बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड़ को जमा किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अद्यतन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर)

9– तिहुरा नाले की सफाई एवं नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया कि तिहुरा नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका मेसर्स यश पैका लि0, दर्शन नगर, अयोध्या द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में दायर की गयी है। तिहुरा नाले के बन्धों को न हटाये जाने के सम्बन्ध में दूसरी याचिका शान्ति सिंह द्वारा दायर की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक उक्त याचिकाओं पर कोई आदेश पारित नही किये गये हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर केस की शीघ्र पैरवी करायी जाय तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता की राय अनुसार तिहुरा नाले की अद्यतन अनुपालन आख्या विलम्बतम एक सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही –जिलाधिकारी, अयोध्या)

9. <u>ओ0ए0 सं0 – 606/2018 कम्प्लायंस ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित है तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्देश दिनांक 10.01.2020 में आदेशित किया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य 31.03.2020 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन

का कार्य दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त समयावधि के उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की दरें मासिक निर्धारित की गई हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइम लाइन में परियोजनाओं को पूर्ण नही किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के विरूद्ध पत्र दिनांक 07.07.2020 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा Thematic Areas पर तृतीय त्रैमासिक रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में प्रस्तुत करते हुए एक प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जा चुकी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना दिनांक 30.11.2020 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये–

1– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

2– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना 01 सप्ताह के अन्दर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/लोक निर्माण/नमामि गंगे एंव ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3– प्रदेश में लीगेसी वेस्ट के जी0आई0एस0 मैपिंग एवं आंकलन तथा लीगेसी वेस्ट स्थल पर भूगर्भीय जल का अनुश्रवण कराते सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में Thematic Areas पर माह दिसम्बर, 2020 तक की प्रगति संबंधी सूचनाएं अद्यतन करते हुए दिनांक 07.01.2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को ई–मेल आई डी–(soenvups@rediffmail.com) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल आई डी–(ms@uppcb.com) पर प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /ग्राम्य विकास/ सिंचाई एवं जल संसाधन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

10. **<u>ओ0ए0 सं0 – 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया–</u>**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 में निर्देशित है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन तथा शोधित उत्प्रवाह के प्रयोग हेतु बजट, वित्तीय प्रावधान प्रदर्शित करते हुए कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30.06.2020 तक प्रेषित की जानी थी, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा नगर विकास विभाग को समयबद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश भी जारी किये गये थे। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2020 में निर्देशित किया गया है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन एवं शोधित उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग हेतु तैयार किये गये ऐक्शन प्लान के अनुपालन की स्थिति समय≤ पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जानी है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उपरोक्त आदेश में दिनांक 01.07.2020 तक 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसिटु रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने के निर्देश दिये गये है तथा उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की मासिक दर निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशों में निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर औचित्य सहित पुनर्विचार किये जाने तथा सीवेज शोधन एवं शोधित सीवेज के पुनः प्रयोग हेतु ऐक्शन प्लान तैयार कर मा0 अधिकरण मे शीघ्र दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

11. **<u>ओ0ए0 सं0 – 621/2018 महेन्द्र पाण्डेय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य</u>**

:

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण जनपद मुरादाबाद में रामगंगा नदी के तट पर पूर्व में अवैध रूप से स्थापित ई–वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयों द्वारा प्रोसेसिंग से जनित अपशिंष्ट (ब्लैक पाउडर) के निस्तारण के सम्बन्ध में है। उक्त ब्लैक पाउडर को रामगंगा नदी के तट से हटा कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के अनुसार जनपद–मुरादाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन साइट पर अस्थायी रूप से भण्डारित किया गया है। उक्त अस्थायी भण्डारित अपशिष्ट के अन्तिम निस्तारण हेतु ब्लैक पाउडर को वेस्ट प्रोसेसिंग साइट से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) में प्रेषित किया जाना है। उक्त प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 का संचालन माह फरवरी, 2021 में प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य द्वारा की गई कार्यवाही को संकलित करते हुए मा0 अधिकरण में कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित की जा चुकी है। सिंचाई विभाग, मुरादाबाद द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर को अस्थायी भण्डारित स्थल से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 तक ले जाने हेतु आने वाले व्यय का आंकलन लगभग रू 96 लाख आंकलित किया गया है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लैक पाउडर के निस्तारण हेतु पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक

दिनांक 26.09.2018 में निम्न 04 विकल्पों पर विचार–विमर्श किया गया :–

विकल्प 1	जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा ग्राम फाजलपुर, तहसील सदर मुरादाबाद में चिन्हित 5.5 एकड़ भूमि पर Secured Landfill Site का निर्माण कर रामगंगा नदी के तट पर निस्तारित ब्लैक पाउडर को निस्तारित किया जाना।
विकल्प 2	नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा पूर्व में विकसित लैंडफिल साइट में अस्थायी रूप से ब्लैक पाउडर का सुरक्षित भण्डारण किया जाना।
विकल्प 3	ब्लैक पाउडर का निस्तारण प्राधिकृत टी0एस0डी0एफ0 से कराया जाना।
विकल्प 4	अमरोहा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ़0–के संचालन के उपरांत ब्लैक पाउडर का स्थाई निस्तारण।

उक्त बैठक दिनांक 26.09.2018 में विचार–विमर्श के उपरान्त विकल्प सं0–1, 2, 3 पर वैज्ञानिक/वाणिज्यिक फिजीबिलिटी न होने के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर का निस्तारण जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अद्यतन बैठक दिनांक 02.12.2020 में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

1– जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों की एक अंतर्विभागीय समिति बनाकर अस्थायी रूप से भण्डारित ब्लैक पाउडर को स्थल पर ही मानको के अनुरूप निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय एवं तकनीकी आंकलन करते हुए आख्या 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही – जिलाधिकारी, मुरादाबाद)

2– पूर्व में रामगंगा नदी के तट पर ब्लैक पाउडर निस्तारित करने वाले दोषियों की पहचान किये जाने हेतु जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग मुरादाबाद, नगर निगम मुरादाबाद, महाप्रबंधक ,जिला उद्योग केन्द्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की संयुक्त समिति द्वारा 10 दिन के अन्दर की जाए।

(कार्यवाही – जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, नगर निगम, मुरादाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद)

3– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर के परिवहन एवं मानकों के अनुरूप निस्तारण में होने वाले व्यय का आंकलन करते हुए रिपोर्ट 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए तथा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

4– उक्त ब्लैक पाउडर का सुरक्षित स्थायी निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यय का वहन बॉड ओनर्स के Extended Producer Responsibility के अंर्तगत कराये जाने की सम्भावना के परीक्षण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही – सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

12. **ओ0ए0 संख्या–681/2018 News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15"**

1– बैठक में उ0प्र0 राज्य के अंतर्गत नॉन अटेनमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू कार्ययोजनाओं के अंर्तगत विभिन्न कार्यों की प्रगति एवं

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में चिन्हित 15 नॉन अटेंमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजनाओं का कियान्वयन कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दो शहरों यथा मेरठ एवं गोरखपुर को भी नॉन अटेनमेंट शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है। मेरठ की कार्ययोजना का निरूपण कर उसे अनुमोदनार्थ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा गोरखपुर की कार्ययोजना का निरूपण का कार्य वर्तमान में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर से सूचनायें इत्यादि प्राप्त कर किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त बैठक में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी तथा निम्न निर्णय लिये गये:-

1- गोरखपुर की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के निरूपण हेतु समस्त वांछित सूचनाये एक सप्ताह के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाय।

(कार्यवाही – जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर)

2- वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु विकसित समीर एप एवं स्वच्छ वायु एप पर प्राप्त शिकायतों से संबंधित विभागों द्वारा 01 सप्ताह के अन्दर शिकायतों का निस्तारण करते हुए आख्या प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही- नगर आयुक्त, गाजियाबाद, सी0ई0ओ0,नोएडा एथॉरिटी, जिलाधिकारी, गाजियाबाद एंव क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, नोएडा एवं मेरठ)

3- लीगेसी वेस्ट का निस्तारण एवं उ0प्र0 में लीगेसी वेस्ट की जी0आई0एस0 मैपिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4- बैठक के दौरान 500 से अधिक ए0क्यू0आई0 आने की दशा में पर्यावरणीय इमरजेंसी को आपदा के रूप में सम्मिलित कर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम विकसित किये जाने हेतु राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण एवं पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से भी दिशा-निर्देश प्राप्त कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही की जाय तथा आपदा की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

5- मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये कि ओवरसाइट समिति की संस्तुतियों का अनुपालन संबंधित विभागों से सुनिश्चित कराया जाये। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को ओवरसाइट समिति की रिर्पोट के बिंदुओं पर अनुपालन आख्या 01 सप्ताह के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

6- माननीय एन0जी0टी0 के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के संबंध में गृह विभाग पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करें तथा विलम्बतम दिनांक 15.12.2020 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग)

3– उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त वादों के संबंध में निम्न कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये :–

1– उक्त समस्त वादो में सभी संबंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइमलाईन के अनुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई–मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल ms@uppcb.com पर दिनांक 15.12.2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

2– जिन कार्यों में टाइमलाईन के अंतर्गत कार्यवाही नहीं हुयी है तथा उनमें यदि अनुचित विलम्ब हुआ है तो दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई–मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल ms@uppcb.com पर उपलब्ध करायी जाय।

3– जिन कार्यों में विलम्ब औचित्यपूर्ण है उनमें औचित्य के साथ टाइमलाईन एक्सटेंशन एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की माफी हेतु प्रार्थना पत्र मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दाखिल करायें तथा उसकी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर उचित आदेश प्राप्त किया जाय।

4– सभी संबंधित विभागों द्वारा या तो मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन करें, और यदि विभाग को आदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई हो तो मा0 एन0जी0टी0 अथवा सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुरोध करके आदेशों में आवश्यक संशोधन करा लें।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

Digitally signed by सुधीर गर्ग
Date:Fri Dec 11 11:29:29 IST 2020
Reason: Approved

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7

संख्या– N.G.T-645/81–7–2020–44(रिट)/2016 टी.सी.–2

लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/कृषि/पंचायती राज/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ग्राम्य विकास/ऊर्जा/परिवहन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/खाद्य एवं रसद/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन/ भूतत्व एवं खनिकर्म/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

3– जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात/मुरादाबाद/गाजियाबाद/अयोध्या।

4– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।

5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

6– निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 कानपुर।

7– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

8– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)।

9– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

10– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)

अनु सचिव।